न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार सेड़वा

श्री राजसरकार बनाम मालाराम जूंजा विप्रार्थी
सरकार जरिये पटवारी बांगडवा श्री मालाराम जूंजा
हल्का बांगडवा वल्द टीकमा जाति जाट
निवासी शेरपुरा

राजस्व मुकद्दमा नं. 11/2019 निर्णय दिनांक 10/10/19
अन्तर्गत धारा 91 भू- राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

यह मामला पटवारी हल्का बांगडवा की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थी ने सरकारी भूमि मौजा शेरपुरा के ख.न. 324/642 में रकबा 14.16 बीघा किस्म गैरखातेदारी पर संवत् 2076 खरीफ मे काश्त कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थी से तामिल हो चुका है अप्रार्थी उपस्थिति/अनुपस्थिति।

अप्रार्थी आखिर उसने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करना स्वीकार किया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थी अनुपस्थित रहा, अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। अतः अप्रार्थी को विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त सरकार किया जाकर अप्रार्थी पर बतौर लगाया शस्ति के भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.89 का 50 गुणा रूपये 45 अक्षरे ~~पैंतालीस रूपये~~ पैंतालीस रूपये आरोपित किये जाते है भू.अ. निरीक्षक हल्का बांगडवा को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि पर जब्त शुदा फसल की नीलामी नियमानुसार कर गैर सायल को नाजायद कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर पालना 7 दिन मे पेश करे। जुर्माना की वसूली हेतू पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकर सूचित हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chhail Singh
Date: 2024.08.02 12:00:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली बाद आदेश की पालना के दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10/10/19 को सरे आम लिख कर सुनाया गया।

तहसीलदार सेडवा